(3) अवकाश से लौटने पर श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ-6-4-2008-चौवन-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 मई 2013 द्वारा अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु मान. प्रधानमंत्री जी के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वित करने के लिये मुख्य सचिव के अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति में नव निर्वाचित विधायक श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह मान. विधायक-भोपाल (अल्पसंख्यक बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र) एवं नव निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि/जिला पंचायत सदस्य (3 सदस्य) क्रमशः श्रीमती रचना महेन्द्र (शेरू) अध्यक्ष जिला पंचायत, भोपाल, श्रीमती उर्मिला मरेठा, अध्यक्ष, जिला पंचायत, सीहोर एवं श्रीमती गायत्री देवी पाटीदार, अध्यक्ष जिला पंचायत बुरहानपुर को समिति में सदस्य नामांकित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ-3-26-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिंगरौली निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:—

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त नगरपालिका निगम नगर सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2015

क्र. एफ-3-26-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक एफ-3-26-2014-बत्तीस, दिनांक 16 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, अवर सचिव.

NOTICE

Bhopal, the 16th March 2015

No. F. 3-26-2014-XXXII-Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Singraulli, 2031 (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Rewa Division, Rewa, Madhya Pradesh.
2. Collector, District Singraulli, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Municipal Corporation Singraulli, Madhya Pradesh.
4. Deputy Director, Town & Country Planning Distt. office Singraulli, Madhya Pradesh

(2) The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHISH SAXENA, Dy. Secy.